2007:CGHC:10737

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 3305/1999

देथारी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

दांडिक अपील क्र. 3382/1999

विपिन कुमार

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील क्र. 11 /2000

मनोज कुमार

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

निर्णय

दिनांक 08/05/2007 को नियत किया गया।

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 3305/1999

अपीलकर्ता: देथारी, पिता भुरसबों बेहारा, उम्र लगभग 25 वर्ष, व्यवसाय मजदूर, निवासी- ग्राम मलदा और मेचीग सेंटर, रायगढ़, नयापारा, कबीर चौक, जूट मिल, रायगढ़

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़), द्वारा जिला दंडाधिकारी, रायगढ़ (छ.ग)

दांडिक अपील क्र. 3382/1999

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता: विपिन कुमार, पिता लालकुमार साव, उम्र लगभग 25 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी- ग्राम मलदा, थाना पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़), द्वारा जिला दंडाधिकारी, रायगढ़ (छ.ग)

एवं

दांडिक अपील क्र. 11 /2000

अपीलकर्ता: मनोज कुमार, पिता बोधन साऊ, उम्र लगभग 23 वर्ष, व्यवसाय विधायर्थी , निवासी- ग्राम मलदा, थाना पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़), द्वारा थाना प्रभारी, थाना पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग)

(धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपील)

उपस्थित :-

दांडिक अपील क्र. 3305/99 में अपीलार्थी की ओर से: श्रीमती इंदिरा त्रिपाठी, अधिवक्ता

दांडिक अपील क्र. 11/2000 में अपीलार्थी की ओर से: श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता

दांडिक अपील क्र. 3382 /99 में अपीलार्थी की ओर से: श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, अधिवक्ता

सभी दांडिक अपील में राज्य की ओर से: श्री एस.के.मिश्रा, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 08.05.2007)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

1. इन अपीलों को दिनांक 01/12/1999 को सत्र प्रकरण क्रमांक 119/1998 में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत उक्त न्यायालय ने अपीलकर्तागण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376/34 के अंतर्गत दोषी ठहराया तथा उन्हें 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5000/- के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड के व्यतिक्रम की स्थिति में उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश दिया गया।

2. प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलकर्ता और अभियोक्त्री अर्थात मोतीवती (अ.सा.5) मालदा गाँव के निवासी हैं। दिनांक 04.2.1998 को, गाँव में कोई नाटक का कार्यक्रम चल रहा था। यह नाटक देर रात तक चलता रहा। लगभग 3 बजे, अभियोक्त्री और उसकी सहेली कु. आरती नाटक समाप्त होने के बाद अपने घर लौट रही थीं। आरती का घर रास्ते में सबसे पहले था, अतः वह अपने घर चली गई। आरोप यह है कि जब अभियोक्त्री अपने घर के दरवाजे के सामने पहुँची और अपनी माँ को पुकार रही थी, तभी अपीलकर्ता मनोज वहाँ आया और अभियोक्त्री को जबरन पास के राजाराम के एक खुले मैदान में खींच ले गया। उसने अपने कपड़े उतार दिए और उसके बाद, अभियोक्त्री के अंडरवियर उतार दिए और उसके साथ लैंगिक संभोग किया। आगे आरोप यह है कि जब वह लैंगिक संभोग कर रहा था, तो दो अन्य अपीलकर्ता, विपिन और देथारी वहाँ आए और उन्हें बताया कि अभियोक्त्री का जीजा उनकी ओर आ रहा है, जिस पर अपीलकर्ता- मनोज और अभियोक्त्री दोनों दूसरे रास्ते से चले गए और उक्त रास्ते से अभियोक्त्री को अपीलकर्ता ने उसके घर पर छोड़ दिया। दिनांक 05.2.1998 को, अभियोक्त्री ने यह घटना अपनी दादी पार्वती (अ.सा.9) को बताई और उसने अपनी माँ और पिता दामोदर (अ.सा.4) को घटना बताई, जिन्होंने गाँव के पटेल सिदार सिंह को यह घटना के बारे में बताया। सिदार सिंह ने कहा कि वह अपीलकर्तागण से पूछताछ करेंगे, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, तो अभियोक्त्री अपने पिता दामोदर (अ.सा.4), भाई हेमंत और बहनोई (जीजा) शिवनाथ (अ.सा.7) के साथ दिनांक 7.2.1998 को थाना गए और रिपोर्ट प्र. पी 2 दर्ज कराई गई। अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया, जहाँ डॉ. आरती नंदे (अ.सा.13) ने उसकी जाँच की, जिन्होंने अभियोक्त्री की आयु का पता लगाने के लिए एक्स-रे कराने की भी सलाह दी। डॉ. एम.डी. जोशी (अ.सा.12) ने अभियोक्त्री का अस्थिकरण परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्र.पी 10 दी, जिसमें उसकी आयु 15-16 वर्ष के बीच पाई गई। यद्यपि, इस प्रकरण में स्कूल प्रमाण पत्र की एक छायाप्रति भी जब्त की गई थी, लेकिन यह अभिलेख पर साबित नहीं हुआ। इस साक्ष्य के आधार पर, अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और विचारण की समाप्ति के बाद, आरोपिगण को उपरोक्तानुसार दोषी ठहराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोक्त्री घटना के दिन 16 वर्ष से कम आयु की थी और उसके साथ अपीलकर्ता मनोज द्वारा जबरन लैंगिक संभोग किया गया और दो अन्य अपीलकर्तागण ने भी उसकी सहायता की थी क्योंकि उन्होंने लैंगिक संभोग के दौरान उसे सूचित किया था कि अभियोक्त्री का बहनोई (जीजा) उनकी ओर आ रहा है।

4. अपीलकर्ता मनोज के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि घटना के दिन अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम थी। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रकरण अभियोक्त्री और इस अपीलकर्ता के बीच सहमति का प्रतीत होता है। अन्य दो अपीलकर्तागण के बारे में, उनके विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है और उन्हें केवल इस सबूत के आधार पर दोषी ठहराया गया है कि उन्होंने अभियोक्त्री और मनोज को बताया था कि उसका बहनोई (जीजा) उस खेत की ओर आ रहा है जहाँ वे लैंगिक संभोग बना रहे थे।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और सत्र न्यायालय ने अपीलकर्तागण को भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धाराओं के तहत सही रूप से सिद्धदोष किया है।

6. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र परीक्षण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. जहाँ तक अभियोक्त्री की आयु का संबंध है, अभियोक्त्री के पिता दामोदर (अ.सा.4) ने कहा है कि घटना के दिन अभियोक्त्री की आयु लगभग 15 वर्ष थी। अपने प्रति परीक्षण में पैरा 11 में उन्होंने स्वीकार किया था कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि कोटवार द्वारा लिखा गया था, लेकिन वह उनके पास नहीं है और वह अपनी पुत्री की वास्तविक जन्मतिथि नहीं बता सकते, लेकिन यह वर्ष 1982 में हो सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि स्कूल में प्रवेश के समय उन्होंने कोटवार से जन्म प्रमाण पत्र नहीं लिया था। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि वह यह नहीं बता सकते कि स्कूल में प्रवेश के समय अभियोक्त्री की आयु क्या थी। उनके साक्ष्य का परिणाम यह है कि वह घटना के दिन उसकी वास्तविक जन्मतिथि या आयु बताने में असमर्थ थे। आयु का एक अन्य साक्ष्य डॉ. एम.डी. जोशी (अ.सा.12) द्वारा दी गई अस्थिकरण परीक्षण रिपोर्ट है। उनके अनुसार, घटना के दिन अभियोक्त्री की आयु 15 से 16 वर्ष के बीच थी। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि अस्थिकरण परीक्षण द्वारा निर्धारित ऐसी आयु में त्रुटि की सीमा 3 वर्ष हो सकती है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकरण में अभियोक्त्री की आयु से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं है। मोदी के चिकित्सा न्यायशास्त्र (20वें संस्करण) में उल्लेख किया गया है कि विभिन्न लेखकों द्वारा देखी गई कुछ एपिफिसिस की आयु और वर्षों की उपस्थिति और संलयन को दर्शाने वाली तालिका पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह

केवल औसत को दर्शाता है और विकास की विलक्षणताओं के कारण एक ही प्रांत के व्यक्तिगत प्रकरण में भी भिन्न होने की संभावना है। आगे यह तर्क दिया गया है कि हाल के अध्ययनों से पता चला है कि त्रुटि की सीमा दोनों पक्षकारों में तीन वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष द्वारा स्कूल प्रमाण पत्र की एक छायाप्रति प्रस्तुत की गई थी जिसमें अभियोक्त्री की जन्मतिथि दिनांक 20.4.1982 दर्ज की गई थी, लेकिन यह दस्तावेज अभिलेख पर साबित नहीं हुआ। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी प्रकरण में साक्षी के रूप में उद्धृत नहीं किया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा कथित दस्तावेज को मूल या उन अभिलेखों से तुलना करके जिसके लिए इसे जारी किया गया था, साबित करने के लिए कभी नहीं बुलाया गया था।

8. अतः, मेरे मत में, अभियोजन पक्ष अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है और उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया निष्कर्ष पूरी तरह से अनुचित है, जिसे अपास्त किए जाने योग्य है, और मैं तदनुसार अभिनिर्धारित करता हूँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. बलपूर्वक लैंगिक संभोग के बारे में, अभियोक्त्री कु. मोतीवती (अ.सा.5) ने कहा है कि जब वह अपने घर के सामने पहुँची और अपनी माँ को पुकार रही थी, तो अपीलकर्ता मनोज वहाँ आया और उसका मुँह बंद करके उसे राजाराम की खेत में ले गया। वहाँ, मनोज ने बलपूर्वक अपनी पैंट उतार दी और उसके बाद उसने उसका अंडरवियर उतार दिया और उसके साथ लैंगिक संभोग किया। उसने विशेष रूप से कहा है कि लैंगिक संभोग करते समय, वह चिल्लाई थी, जिस पर अन्य दो अपीलकर्तागण विपिन और देथारी ने उसकी आवाज सुनी और घटनास्थल पर आए और बताया कि उसका जीजा आ रहा है। इसके बाद, मनोज उसे एक अलग रास्ते से उसके घर ले गया और उसे दाताराम के कोठार के दरवाजे के सामने छोड़ दिया। उसने आगे कहा है कि जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ गई थी? उसने बताया कि वह उसे अभी नहीं बताएगी और वह उसे सुबह बताएगी। यद्यपि, उसने अपनी बहन को घटना सुनाई है और बाद में यह घटना उसके माता-पिता को सुनाई गई। यह स्वीकृत है कि वह दिन का समय था जब कई लोग नाटक शो से लौट रहे थे और वे रास्ते से गुजर रहे थे। अगर अपीलकर्ता मनोज ने अभियोक्त्री का मुँह बंद करके उसे जबरदस्ती घसीटा था, तो यह ग्रामीणों, खासकर उन घरों के निवासियों द्वारा देखा जाना चाहिए था जो अभियोक्त्री के घर के आसपास के क्षेत्र में स्थित हैं। एक भी व्यक्ति अपीलकर्ता को अभियोक्त्री को उसके घर से राजाराम की बाड़ी तक लंबी दूरी तक घसीटते हुए नहीं देख सका, जहाँ लैंगिक संभोग किए थे। एक अन्य विचार किए जाने वाली कारक, वह है

कथित प्रकरण जिसमें शारीरिक संबंध बनाए गए थे। अभियोक्त्री का कहना है कि उसे उक्त बाड़ी में ले जाने के बाद, सबसे पहले मनोज ने अपनी पूरी पैंट उतारकर अपने कपड़े उतार दिए और उसके बाद, उसने उसकी अंडरवियर भी उतार दी और फिर उसने उसके साथ लैंगिक संभोग बनाए। क्या किसी पुरुष के लिए अपने प्रतिपक्षी की सहायता के बिना ऐसा करना संभव है? जब अपीलकर्ता मनोज अपने कपड़े उतार रहा था, तब लड़की क्या कर रही थी? क्या यह संभव नहीं था कि मौका मिलते ही वह तुरंत भाग जाए? क्योंकि अभियोजन पक्ष का यह प्रकरण नहीं है कि या तो उसे धमकाया गया था या वह अपीलकर्ता मनोज द्वारा हर समय पकड़ी गई थी। ये परिस्थितियाँ अभियोजन पक्ष के आचरण को दर्शाती हैं और यह सुझाव देती हैं कि वह स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ गई थी और उसने उसे अपने साथ लैंगिक संभोग बनाने की अनुमति दी थी।

10. इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री का एक और महत्वपूर्ण आचरण यह है कि वह मनोज के साथ अपने घर पहुँचने के लिए उस रास्ते से अलग रास्ता क्यों अपनाई जो सरल था और जिस रास्ते से उसका बहनोई आ रहा था। उसे अपीलकर्ता मनोज को छोड़कर बहनोई की ओर भागने का पूरा मौका मिला। बहनोई से छिपकर घर के लिए अलग रास्ता अपनाना इस प्रकरण की संदेहस्पद परिस्थितियों में से एक है। ये सभी तथ्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि वास्तव में अभियोक्त्री एक इच्छुक पक्षकार थी और वह अपीलकर्ता मनोज के साथ घटनास्थल पर स्वयं गई थी और उसके बाद उन्होंने वहाँ लैंगिक संभोग बनाया और जब अन्य दो अपीलकर्तागण ने उसे चेतावनी दी कि उसका बहनोई उस स्थान की ओर आ रहा है, तो दोनों घटनास्थल से भाग गए और घर पहुँचने के लिए एक अलग रास्ता अपना लिया। अपीलकर्ता मनोज के विरुद्ध लैंगिक संभोग करने के संबंध में लगाए गए आरोप भी चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं क्योंकि महिला डॉक्टर, जिन्होंने अभियोक्त्री की जांच की थी, ने अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं देखी है और उसकी योनिच्छद फटी हुई थी, कोई रक्तस्राव बिंदु नहीं थे, कोई स्राव नहीं हुआ था और उसके अनुसार, लैंगिक संभोग के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों में, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभियोक्त्री के सहमति देने वाले पक्षकार होने की संभावना को इस प्रकरण में पूरी तरह से निरस्त किया जा सकता है और यह प्रकरण अभियोक्त्री और अपीलकर्ता मनोज के बीच सहमति का प्रतीत होता है।

12. जहाँ तक अन्य दो अपीलकर्तागण का संबंध है, उनके विरुद्ध कोई विधिक साक्ष्य नहीं है और उनके विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य यह है कि वे घटनास्थल पर पहुँचे और उन्होंने अपीलकर्ता मनोज को बताया कि अभियोक्त्री का बहनोई उनकी ओर आ रहा है और केवल इसी चेतावनी पर, अभियोक्त्री और मनोज घटनास्थल से चले गए और अभियोक्त्री के घर पहुँचने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया ताकि वे बहनोई द्वारा पकड़े न जाएँ। केवल इसी साक्ष्य के आधार पर, अन्य दो अपीलकर्तागण को विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। विधिक साक्ष्य के अभाव में ऐसी दोषसिद्धि भी कायम नहीं रह सकती।

13. अतः, अपीलकर्तागण के विरुद्ध ऐसे साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है और तदनुसार उसे अपास्त किया जाता है। सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलकर्तागण को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....SONIA KULDEEP.....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur